

७८-५२/२०१५
Duplicate

राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची
मन्त्रीमान बाद ७८-५२/२०१५
स्वीकृति के क्रम में अनुसा पत्र

मन्त्रीमान क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम 2001 की बाबा 37
द्वारा वल्लभगांग भवन उपनियम के बताए गए प्रस्तावित भवन निर्माण
/ बहुमान भवन में परिवर्तन / परिवर्तन के नवाए में निर्माणिकार
क्रमों के साथ स्वीकृति हो जाती है :-

- (1) निम्न जिक्र कार्य प्रारम्भ करने के क्रम से कम 15 (पन्द्रह) दिनों
के पहले विद्युत प्रपात्र में सचिव को संचित करेंगे।
- (2) निम्नजिक्र कार्य की समाप्ति पर प्राधिकार के पंजीकृत उद्दिष्ट
/ वास्तुकार / सुपरवाइजर द्वारा चिह्नित-प्रपात्र में उमाण-पत्र द्वारा
जिनके लकड़ीकी पृष्ठेवेशण में कार्य किया गया है।
- (3) रोड विस्तार हेतु छोड़ी गई भूमि पट्टी, पट्टीयों को
छोड़कर ही चाहरदीवारीका निर्माण करना होगा।
- (4) स्वीकृत भवन आन में वकारी गड़ी रोड छोड़ीकरण हेतु गोदां
गड़ी भूमि विभाग उरकार / प्राधिकार को रोड विस्तार, विकास
द्वारा प्रयोगजन्म कराएगी।
- (5) लकड़ी की स्वीकृतिवाले तीन बर्बों के लिए बैठ रहेगी। उसके
उपरांत नियमानुसार अनुसार का युनमीन्यव कराना बनियाई होगा।
- (6) स्वीकृत नवाए द्वे विषयन मानव नहीं होगा।
- (7) भवन आन की स्वीकृति के लिए जिक्र की जाए तो कार्यालय के लिए
आपैदल के कृत्यवेक्षण से स्वीकृति प्राप्ति की हो तो कार्यालय के लिए
विकास प्राधिकार अधिनियम की बाबा 38 के बन्दर्यंक उत्तर आन
की स्वीकृति रद्द कर दी जाएगी।
- (8) अन्य कोई शर्तें नहीं

चप्पानीलक आदेश से
धारी प्रबोधक
राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार
राँची

2/मी

13/12/2015

(167)

पत्रांक ५१७ /

कार्यालय अग्निशमन सेवा मुख्यालय, जारखण्ड, रोडी।



रोडी, दिनांक—२०/७/११/

प्रेषक,

11. भवन के पांचवें तल पर स्टेपरफ्रेस लॉफी को Refuge area के रूप में निर्मित किये जायें।

12. Pool के चारों ओर निम्नलिखित जीवन रक्कम उपकरण आरक्षित अवस्था में रखे जायें।

(a) Life buoy - 02-02 अदद

(b) Life Jacket - 02-02 अदद

13. प्रस्तावित भवन में एक फायर लिफ्ट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसकी क्षमता 540 केवली से कम न हो।

14. भवन के सभी बालकोंनी को पूर्णतः छुला रखने की व्यवस्था की जाय।

15. सेटेबैक एरिया को किसी भी परिस्थिति में बाधित न किया जाय, ताकि Fire Tender का Movement आसानी से हो सके।

16. भवन में ताइटिंग घालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।

17. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संरक्षणित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत छान (Hard and Soft copy) इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेने कार्य हो आवेदक अनुपस्थिति प्रमाण पत्र लेने से पहले एक शाय पत्र लगायित करने के लिए नियन्त्रन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सुझावों का अक्षरण: अनुपालन किया गया है।

18. अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जॉच इस विभाग से कराने के बाद ही अनुपस्थिति प्रमाण—पत्र निर्गत किये जायेंगे।

19. प्रस्तावित भवन निर्माण के किसी भी भाग में यदि बाद में Plan या Nature of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सुचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करें।

20. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में दर्जित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।

21. प्रस्तावित भवन निर्माण के किसी भी भाग में यदि बाद में Plan या Nature of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सुचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करें।

22. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में दर्जित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।

23. भवन की प्रतिर्दिशी सुआव के साथ हस्ताक्षर कर दापस किये जा रहे हैं।

अनुलमनक — यथोक्त।

विषयालय संस्थान
अग्निशमन प्रशिक्षक,
जारखण्ड, रोडी।

प्रभारी अपर शाज अग्निशमन सेवा मुख्यालय, जारखण्ड, रोडी।

24. भवन में प्रति 400 वार्ग फीट के लिए एक की दर से एक—एक अदद DCP Extinguisher

10Kg. ऐसे जाने की व्यवस्था की जाय।

उपलब्ध रही जाय।

6. समान क्षमता का ऐकलिक पावर चालित परिषंग व्यवस्था रखी जाय।
7. सीफों को Enclosed staircase के रूप में निर्मित किये जायें।
8. प्रस्तावित भवन की Wiring व्यवस्था किसी Licensed Electrician से ही करायें जाय।
9. N.B.C के नियम के अनुसार भवन के सामने वाले भाग में चोड़ी ठोस एवं खुली जगह हमेशा

10. भवन में प्रति 400 वार्ग फीट के लिए एक की दर से एक—एक अदद DCP Extinguisher
11. शेष अगले पृष्ठ पर

(शेष अगले पृष्ठ)